न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

शांति देवी

बनाम

हासम खॉ इत्यादि

उपस्थित

1. श्री गिरधर सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

आदेश

दिनांक 13 जून 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 223/2013 अनवान हासम खॉ बनाम शांति देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जून 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 216.15 बीघा के रेकर्डेड सहखातेदार मुबारक पुत्र नूर खॉ व श्रीमती नसीबो बेवा नूर खॉं जाति मुसलमान, निवासी मोहरा तहसील फलोदी से पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये उनके 1/8 हिस्से की भूमि खरीद कर प्रतिफल 2,50,000/- रुपये देकर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलार्थीनी के पक्ष नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदारो ने बिना किसी आधार के

अपीलार्थीनी को परेशान करने के लिए विक्रेता को बिना पक्षकार बनाये खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा तथा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली पहले सहायक कलेक्टर फलोदी में पेश की गई जो दिनाक 19.9.2013 को सहायक कलेक्टर, बाप को स्थानान्तरित कर दी गई। पूर्व में पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब में चल रही थी। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 11.5.2018 नियत थी, किंतु उक्त तारीख पेशी से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 24.4.2018 को सहायक कलेक्टर फलोदी में स्थानान्तरित कर दी गई। स्थानान्तरित मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस/सूचना दिये पत्रावली दिनाक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प जागरीया रखकर अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखे हेतु पाबंद कर दिया गया। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है। उसकी खरीद सुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीनी व रेस्पोडेन्टगण के मध्य पूर्व खातेदार के समय से ही मौखिक बंटवाडा हो रखा है। उक्त बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनी ग्राम फलोदी में निवास करती है तथा रेस्पोडेंट्स ने मिलीभगत करके बाले बाले अपीलार्थीया को सुनवाई का मौका दिए बिना एक तरफा आदेश पारित करवाया, जिस आदेश का ज्ञान हुआ, तब अपीलार्थीनी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की नकल प्राप्त की, तब अपीलार्थीनी को प्रथम जानकारी हुई। अपीलार्थीनी द्वारा प्रथम ज्ञान से हस्तगत अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यु बोर्ड ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिन्दु पर खारिज नही करके मैरिट पर निर्णित किया जाना

कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि म्याद के बिन्दु पर नम्र रूख अपनाते हुए अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे।

अंत में अपीलांट के अधिक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जून 2018 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 16 के अधिवक्ता ने अपीलार्थीनी के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें हिस्सों को लेकर विवाद है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजी 49 रकबा 216.15 बीघा ग्राम मोहरा में पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.01.2012 के जरिये 1/8 हिस्से की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली विचारण न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलार्थीनी के जवाब में विचाराधीन चल रही थी तथा आगामी पेशी दिनांक 11.05.2018 नियत थी। आदेशिका दिनांक 24.04.2018 के मुताबिक पत्रावली नियत पेशी से पूर्व ही सहायक कलक्टर फलोदी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई, जिसकी सूचना अपीलार्थीनी को दिये जाने बाबत आदेशिका पर अंकन अथवा नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावल पर उपलब्ध नहीं है। सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा स्थानांतरित प्रकरण को सीधे ही राजस्व लोक अदालत केम्प जागरीया में रखकर अपीलार्थीनी को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत

पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जून 2018 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थीनी को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिनुसार पुनः अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर